न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 242/2025

उनवान

1. अमराराम पुत्र सवाईराम
2. उगराराम पुत्र सवाईराम
3. धर्माराम पुत्र सवाईराम
4. वीरमाराम पुत्र सवाईराम
5. विशनाराम पुत्र सवाईराम
6. हेराजराम पुत्र सवाईराम
7. जेती पत्नी सवाईराम
8. सवाईराम पुत्र कलाराम
9. राजूराम पुत्र कलाराम
10. हेमाराम पुत्र कलाराम
11. हरजीराम पुत्र कलाराम
12. जेती पत्नी कलाराम
13. टीकुराम पुत्र ताजाराम
14. सुराराम पुत्र ताजाराम
15. नेनु पत्नी ताजाराम
16. दुर्गाराम पुत्र विरधाराम
17. हेमाराम पुत्र विरधाराम
18. भूराराम पुत्र विरधाराम
19. नगाराम पुत्र नाथाराम
20. तेजाराम पुत्र करनाराम
21. रूगाराम पुत्र करनाराम
22. राणाराम पुत्र करनाराम
23. सवाईराम पुत्र करनाराम
24. नथु पत्नी चोलाराम

जाति जाट निवासी गांधी नगर,जाखडों का तला तहसील रामसर।

बनाम

1. पन्नी पत्नी उदाराम
2. सरूपाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी गांधी नगर ,जाखडों का तला तहसील रामसर।
3. कानाराम पुत्र मगाराम
4. चिमाराम पुत्र मगाराम
5. राजूराम पुत्र मगाराम
6. सादुलाराम पुत्र मगाराम
7. सोनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी मघासर डेर सेतराउ तहसील रामसर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामसर।
9. बीसीसीबी बैंक शाखा रामसर जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

राजस्व आवेदन संख्या 242/2025 अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:–आदेश:–

दिनांक :– 05.12.2025

प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया कि कि मौजा गांधीनगर पटवार मण्डल खडीन के खसरा संख्या क्रमशः 744, 755, 752 रकबा क्रमशः 9.2268, 1.6349, 0.1295 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के लिये कृषि जोत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। राजस्व रिकार्ड में कटान मार्ग दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को आवागमन की विकट समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी खेत मौजा गांधीनगर पटवार मण्डल खड़ीन के खसरा संख्या 753 व 754 में से प्रचलित मार्ग को राजस्व रिकार्ड में धारा 251 ए के तहत गैर मूमकीन रास्ता दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की और से श्री रामस्वरूप भाटी वकील द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.16 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner

बताया है कि उक्त खसरे 753 में पूर्व में कोई कदीमी रास्ता नही है तथा उनके खेत की चारों तरफ [illegible]दी की हुई है तथा खसरा संख्या 744 के नजदीक ही खसरा संख्या 741 एवं 759 में आवागमन हेतु [illegible]स्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है इस कारण उनके खसरे संख्या 753 में रास्ता नही दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विप्रार्थी संख्या 3 से 7 की और से रविन्द्र कुमार गौदारा द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता पिछले 25 वर्षो से उपयोग में आ रहा है तथा रास्ता दिये जाने में सहमति जाहिर की है।

पत्रावली में तहसीलदार रामसर से मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार रामसर के क्रमांक राजस्व/कोर्ट /2025/2862 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वादीगण के सुगमता एवं निकटतम रास्ता खसरा संख्या 753 में से हीं होकर गुजरता है वादीगण की 10–12 रहवासी ढाणिया है जो निकटतम रास्ते हेतु खसरा संख्या 753 में से गुजरना पड़ता है तथा खसरा संख्या 1106/755 में राउप्रावि संस्कृत विधालय गांधीनगर खड़ीन है जिसके वादीगण के परिवार के बच्चे अध्यनरत है जो उक्त रास्ते से होकर खसरा नंबर 753 में से होकर विधालय जाते है।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधारा पर प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम् स्वीकार किया जाकर मौजा गांधीनगर पटवार मण्डल खडीन के खसरा संख्या 753 रकबा 12.5290 हेक्टयर में से 0.1228 हेक्टयर संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को कृषि जोत में आवागमन हेतु रास्ता बरंग पीला प्रस्तावित रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश तब ही क्रियान्वित होगा जब प्रार्थी द्वारा प्रभावित खातेदारान विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु आवश्यक भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर राशि डीएलसी दर की दुगुनी राशि रूपये 25052/– रूपये तहसीलदार रामसर के राजकोष में जमा करा देवे।

तहसीलदार रामसर को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा लटठा में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक **05.12.2025** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 5/12/2025

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक : रीडर/2025/ 1056-1059

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को पालनार्थ।
2. प्रार्थीगण अमरा पुत्र सवाईराम वगेराह।
3. विप्रार्थीगण पन्नी पत्नी उदाराम वगेराह।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.01.16 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested

5/12/2025
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner